न्यायालय– मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बस्तर स्थान–जगदलपुर (छ०ग०)
(पीठासीन अधिकारी – मनीष कुमार ठाकुर)

दावा प्रकरण क्रं०–205/2022
सी० आई०एस० नंबर–205/2022
संस्थित दिनांक–10.10.2022

01– ललिता कुर्रे पति– स्व०पहाड़ सिंग कुर्रे,
आयु–50 वर्ष,

02– संजय कुमार कुर्रे पिता–स्व०पहाड़ सिंग कुर्रे,
आयु–33 वर्ष,

03– विजय कुमार कुर्रे पिता–स्व०पहाड़ सिंग कुर्रे,
आयु–25 वर्ष,
उपरोक्त सभी निवासी–सतनामीपारा,
ग्राम–मुण्डापाल, बस्तर, थाना–बस्तर,
जिला–बस्तर (छ.ग.) -------आवेदकगण

–: विरुद्ध :–

01– मनीष ठाकुर पिता–हेमाधर ठाकुर,
आयु–23 वर्ष, निवासी– कुदालगांव
खासपारा, थाना–कोतवाली जगदलपुर,
जिला–बस्तर (छ.ग.)

02– उदयनाथ कश्यप पिता– सगनुराम कश्यप,
आयु–49 वर्ष, निवासी– कुदालगांव
खासपारा, थाना–कोतवाली , जगदलपुर,
जिला–बस्तर (छ.ग.) ------अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–166(1) एवं धारा–140 मोटर यान अधिनियम 1988 संशोधित 1996.

आवेदकगण द्वारा श्री नितिन जैन अधिवक्ता ।
अनावेदक क्रमांक– 01 एवं 02 द्वारा श्री मानसिंह ठाकुर अधिवक्ता ।

–: अधिनिर्णय :–
(आज दिनांक–25.10.2024 को पारित)

(01)– आवेदकगण के द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु यह आवेदन आवेदन पत्र अंतर्गत धारा– 166(1) एवं धारा–140 मोटर यान अधिनियम 1998 संशोधित अधिनियम–1996 के तहत अनावेदकगण के विरूद्ध मोटर दुर्घटना में पहाड़ सिंग कुर्रे की मृत्यु होने के फलस्वरूप 33,00,000/– रूपये (तैतीस लाख रूपये) क्षतिपूर्ति दिलाये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

(02)– प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अनावेदक क्रमांक–01 दुर्घटना कारित वाहन मोटर साईकिल क्रमांक–सी० जी०–17 के०पी०/1410 का चालक एवं अनावेदक क्रमांक–02 उक्त वाहन का स्वामी है ।

(03)– आवेदकगण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दुर्घटना दिनांक–16.02.2022 को मृतक पहाड़सिंग कुर्रे, अपने घर से दियारी त्यौहार में शामिल होने अपने रिश्तेदार के घर चिड़ईपदर गया था तथा वहां से वापसी के समय शाम 07:00 बजे के आसपास, घटना स्थल ग्राम कोलचुर, एन०एच०–30 स्थित मनोज टांक के खेत के पास पहुंचा था । उसी दौरान मोटर साईकिल वाहन क्रमांक–

सी०जी०–17 के०पी०–1410 के चालक अनावेदक क्रमांक–01 के द्वारा वाहन को तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुये लाकर, मृतक को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित कर दिया। उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप पहाड़सिंग कुर्रे को गंभीर एवं संघातिक चोटें कारित हुई। जिसे उपचार हेतु सी०एच०सी० बस्तर, अस्पताल में भर्ती किया गया जहां उपचार के दौरान दिनांक– 16.02.2022 की मध्य रात्रि 02:30 बजे, अर्थात दिनांक– 17.02.2022 को उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त दुर्घटना के संबंध में थाना– बस्तर में मर्ग क्रमांक–10/2022 दर्ज करवाये जाने पर मर्ग जांच के उपरांत उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट थाना–बस्तर, जिला–बस्तर, (छ.ग.) में दर्ज की जाकर, दिनांक– 13.03.2022 को थाना–बस्तर, जिला–बस्तर, (छ.ग.) के द्वारा के०टी०एम० मोटर साईकिल वाहन क्रमांक– सी०जी० 17 के०पी०–1410 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक–33/2022, धारा–304(A) भारतीय दण्ड विधान के तहत् प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श ए–04 एवं प्रर्दश ए०–05 के अनुसार उक्त दुर्घटना मोटर साईकिल वाहन क्रमांक– सी०जी० 17 के०पी०–1410 से होना पाते हुये, अनावेदक क्रमांक–02 उदयनाथ कश्यप से उक्त वाहन की जप्ती कर तथा उक्त मोटर साईकिल वाहन के चालक अनावेदक क्रमांक– 01 मनीष ठाकुर से उसका ड्राईविंग लाईसेंस की जप्ती कर, थाना–बस्तर, जिला–बस्तर, (छ.ग.)के द्वारा सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र अंतर्गत धारा–304 (ए) भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा– 146/196 मोटर

व्हीकल एक्ट का वाहन चालक अनावेदक क्रमांक–01 मनीष ठाकुर एवं उक्त वाहन के स्वामी अनावेदक क्रमांक– 02 उदयनाथ कश्यप के विरूद्ध न्यायालय– न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी, जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ०ग०) के समक्ष अभियोग पत्र प्र०ए०–11 प्रस्तुत किया गया ।

(04)– आवेदकगण का आवेदन आगे इस प्रकार है कि, घटना के समय मृतक पहाड़सिंग कुर्रे की आयु 50 वर्ष थी, मृतक दुर्घटना के पूर्व कृषि व मजदूरी का कार्य कर प्रतिमाह 20,000/–रूपये की आय अर्जित करता था तथा उक्त आय से वह स्वयं का तथा आवेदकगण का पालन पोषण करता था । आवेदिका क्रमांक–01 मृतक की पत्नी तथा आवेदकगण क्रमांक– 02 एवं 03 मृतक की संतान हैं । मृतक की वाहन दुर्घटना में असामयिक मृत्यु हो जाने से आवेदकगण द्वारा मृतक के प्रेम, स्नेह तथा भविष्य के सहारा से वंचित हो जाने के मद में 3,00,000/–रूपये, शारीरिक एवं मानसिक कष्ट के मद में 3,00,000/–रूपये, मृतक के दाह संस्कार एवं सामाजिक कर्मकांडो के मद में 50,000/–रूपये, मृतक की मृत्यु पश्चात, मृतक का शव विशेष वाहन से निवास ले जाने के मद में 15,000/–रूपये, भविष्य की क्षति के मद में 27,00,000/–रूपये की मांग करते हुये आवेदकगण की ओर से कुल– 33,00,000/–रूपये, अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक दिलाये जाने का निवेदन किया गया है ।

(05)– अनावेदक क्रमांक– 01 वाहन चालक एवं अनावेदक क्रमांक–02 वाहन स्वामी द्वारा आवेदकगण के आवेदन में वर्णित अभिवचन से इंकार करते हुये यह अभिवचन किया गया है कि, उपरोक्त दुर्घटना में अनावेदक क्रमांक–01 की कोई उपेक्षा नहीं थी, बल्कि उक्त दुर्घटना, स्वयं मृतक की उपेक्षा के कारण घटित हुई है । मोटर यान अधिनियम की धारा–166 के तहत जो व्यक्ति स्वयं उपेक्षावान होता है, वह प्रावधान के तहत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है । आवेदकगण द्वारा दुर्घटना में संलिप्त वाहन मोटर साईकिल के स्वामी एवं बीमा कंपनी को पक्षकार बनाया है, दायित्वों का निर्धारण बीमा कंपनी पर निर्धारित होता है । आवेदकगण ने स्वयं के तथा मृतक के आय एवं आयु के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे उनका दावा प्रमाणित हो सके । दुर्घटना दिनांक को दुर्घटना कारित वाहन मोटर साईकिल क्रमांक– सी०जी०–17 के०पी०–1410 के चालक अनावेदक क्रमांक–01 के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी लाईसेंस मौजूद था । अतः अनावेदक क्रमांक– 01 एवं 02 के संबंध में आवेदकगण का आवेदन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है ।

(06)– उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किए गये हैं, जिनकी विवेचना पश्चात निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित किया जा रहा हैः–

कमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01	क्या दिनांक–16.02.2022 को समय शाम के लगभग 07:00 बजे, स्थान– मनोज टांक के खेत के पास, ग्राम– कोलचुर एन०एच०–30 में अंतर्गत पुलिस थाना– बस्तर जिला– बस्तर (छ०ग०) में अनावेदक क्रमांक–01 के द्वारा मोटर साईकिल क्रमांक– सी०जी० 17 के०पी० –1410 को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर पहाड़सिंग कुर्रे को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित कर दिया, जिससे पहाड़सिंग कुर्रे को गंभीर एवं संघातिक चोटे आयी और उसकी मृत्यु हो गयी ?	– हॉ.
02–	क्या दावा आवेदन में पक्षकारों का असंयोजन है ?	प्रमाणित नहीं ।
03–	क्या उक्त दुर्घटना में मृतक पहाड़सिंग कुर्रे की मृत्यु होने के कारण आवेदकगण, अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से 33,00,000/–रूपये पाने के अधिकारी है ? यदि हॉ तो किससे और कितनी मात्रा में ?	11,39,600/– रूपये, अनावेदक क्रमांक–01 एवं 02 से संयुक्ततः एवं पृथकतः ।
04–	सहायता एवं व्यय ?	अधिनिर्णय की कंडिका– 20 के अनुसार

(07)– आवेदकगण ने अपने पक्ष समर्थन में आवेदिका क्रमांक–01 श्रीमती ललिता कुर्रे (आ०सा०क्रं०–01) स्वयं का तथा घटना के गवाह के रूप में दीपेश कुमार नागवंशी (आ०सा०क्रं०–02) का कथन अधिकरण के समक्ष कराया है तथा अनावेदक क्रमांक–01 एवं 02 द्वारा अपने पक्ष समर्थन में किसी भी साक्षी का कथन

अधिकरण के समक्ष नहीं कराया गया है ।

–साक्ष्य विवेचना एवं निष्कर्ष

– वाद प्रश्न क्रमांक–01 का निष्कर्ष के आधार –

(08)– आवेदिका श्रीमती ललिता कुर्रे (आ0सा0क्रं0 –01) का कहना है कि मृतक पहाड़सिंग उसके पति थे । जिनकी लगभग दो–ढाई वर्ष पूर्व दुर्घटना में मृत्यु हो गयी है । घटना दिनांक को उसके पति दियारी त्यौहार में शामिल होने ग्राम चिड़ाईपदर गये थे, जहां से वापस आते समय मनोज टांक के खेत के पास अनावेदक क्रमांक– 01 ने अपनी वाहन मोटर साईकिल क्रमांक– सी०जी०–17 के०पी०–1410 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसके पति को ठोकर मार दिया । जिससे उसके पति को गंभीर एवं संघातिक चोटें आयी और उपचार हेतु अस्पताल ले जाने पर घटना दिनांक को ही उपचार के दौरान उसके पति की मृत्यु हो गयी । इस साक्षी ने उपरोक्त दुर्घटना के परिणाम स्वरूप दर्ज दाण्डिक मामले से संबंधित दस्तावेज मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श ए०–01 ,प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0 ए०–02,घटना स्थल का नक्शा प्र०ए०–03, सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र०ए०–04 एवं 05, शव पंचनामा प्र०ए०–06, शव परीक्षण आवेदन प्र०ए०–07, शव परीक्षण रिपोर्ट प्र०ए०–08, गिरफ्तारी पत्रक प्र०ए०–09, सुपुर्दनामा आदेश प्र०ए०–10, अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श ए०–11 की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करना बतायी है । इस साक्षी ने अनावेदकगण के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि, वह घटना के समय घर पर

थी और उसने घटना होते हुये नहीं देखी है । अतः इस साक्षी के उपरोक्त कथन से यह तो अविवादित है कि उसके पति पहाड़सिंग की मृत्यु रोड़ एक्सीडेंट में हुयी थी, परन्तु यह भी स्पष्ट है कि, यह साक्षी घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है ।

(09)– आवेदकगण की ओर से घटना के गवाह के रूप में दिपेश कुमार नागवंशी **(आ०सा०क्रं०–02)** का कथन कराया गया है, जिसका कहना है कि, घटना दिनांक को मृतक पहाड़सिंग चिड़ाईपदर से अपने निवास ग्राम आ रहा था तभी घटना स्थल मनोज टांक के खेत के सामने एक मोटर साईकिल क्रमांक– सी०जी०–17 के०पी०–1410 के चालक ने अपने वाहन को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मृतक को ठोकर मार दिंया और वाहन चालक स्वयं भी गिर गया । घटना के समय वह चिड़ाईपदर से आ रहा था । वह अनावेदक क्रमांक–01 के पीछे अपनी मोटर साईकिल से आ रहा था । उसने अनावेदक एवं मृतक को उठाया था, वह घटना होते हुये देखा है । घटना अनावेदक क्रमांक– 01 के द्वारा तेजी व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने से घटित हुई है । इस साक्षी ने अनावेदक क्रमांक– 01 एवं 02 के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया है कि, वह घटना के समय घर पर था और घटना होते हुये नहीं देखा है । इस सुझाव से भी इंकार किया है कि, वह वाहन का नंबर नहीं बता सकता । इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि मोटर साईकिल वाहन क्रमांक– सी०जी०–17 के०पी०–1410 के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर पहाड़सिंग को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित किया था । अतः इस साक्षी का

घटना संबंधी उपरोक्त कथन प्रतिपरीक्षण में विशिष्टतः खण्डित नहीं हो पाया है ।

(10)– आवेदकगण की ओर से साक्षी श्रीमती ललिता कुर्रे ने उपरोक्त दुर्घटना के परिणाम स्वरूप दर्ज दाण्डिक मामले से संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना बताया है, जिन पर साक्ष्य के दौरान प्रदर्श अंकन के समय अनावेदक की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी है । थाना बस्तर की पुलिस द्वारा मर्ग जांच उपरांत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श ए०–02 के अनुसार मोटर साईकिल वाहन क्रमांक– सी०जी० 17 के०पी०–1410 के चालक मनीष ठाकुर के विरूद्ध मामला धारा–304(ए) भा०द०सं० के तहत् दर्ज किया गया तथा थाना–भानपुरी की पुलिस द्वारा सम्पूर्ण विवेचना के उपरांत अनावेदक क्रमांक–01 एवं अनावेदक क्रमांक–02 के विरूद्ध धारा– 304(A) भा०द०सं० एवं मोटर यान अधिनियम की धारा–146/196 का अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है । जिसका कोई खंडन अनावेदकगण की ओर से भी नहीं हुआ है । इस तरह उपरोक्त आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजों का कोई खण्डन स्वयं अनावेदक क्र.01 एवं 02 की ओर से नहीं किया जा सका है । अनावेदक क्रमांक– 01 एवं 02 ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य या दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है तथा अनावेदक क्र.01 एवं 02 स्वतः अधिकरण में साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुए है, ना ही उन्होंने स्वतः का कथन कराया है । अतः आवेदकगण की उपरोक्त साक्ष्य एवं दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में एवं खण्डन के अभाव में आवेदकगण यह प्रमाणित करने में सफल रहे है कि, दिनांक– 16.02.022 को समय शाम के

लगभग –07:00 बजे,मनोज टांक के खेत के पास,ग्राम कोलचुर एन०एच०–30 थाना– बस्तर , जिला–बस्तर में अनावेदक क्रमांक– 01 के द्वारा मोटर साईकिल वाहन क्रमांक– सी०जी०–17 के०पी०–1410 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर पहाड़सिंग को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित कर दिया, जिससे पहाड़सिंग कुर्रे को गंभीर एवं संघातिक चोटें आयी, जिसके परिणाम स्वरूप पहाड़सिंग कुर्रे की मृत्यु हुयी । फलस्वरूप वाद प्रश्न क्रमांक–01 प्रमाणित पाया जाता है ।

वाद प्रश्न क्रमांक–02 के निष्कर्ष के आधार –

(11)– अनावेदक क्रमांक– 02 बीमा कंपनी का जवाब दावे के विशेष कथन में मुख्य रूप से यह बचाव है कि, दायित्व का निर्धारण बीमा कम्पनी पर भी निर्धारित हो । अनावेदक क्र.01 एवं02 द्वारा लिये गये उपरोक्त बचाव को प्रमाणित करने का भार सर्वप्रथम उपरोक्त अनावेदकगण का है ।

(12)– जहां तक अनावेदकगण के उपरोक्त अभिवचन का प्रश्न है । उक्त संबंध में अनावेदकगण की ओर से कोई साक्ष्य या दस्तावेज भी नहीं है । अनावेदकगण द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रकट होता हो कि दुर्घटना कारित करने वाली उपरोक्त वाहन घटना दिनांक को बीमित रही है । आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज अंतिम प्रतिवेदन प्र.ए.11 में भी मोटर साईकिल क्रमांक–सी.जी.17 –के.पी.–1410 के संबंध में धारा–146/196 मोटर यान अधिनियम का, भी वाहन चालक एवं स्वामी के विरूध्द

अभियोग लगाया गया है । ऐसी स्थिति में पक्षकारों के असंयोजन होने के संबंध में कोई साक्ष्य या दस्तावेज नहीं है । फलस्वरूप वाद प्रश्न क्रमांक−02 "प्रमाणित नहीं " पाया जाता है ।

वाद प्रश्न क्रमांक−03 के निष्कर्ष के आधार −

(13)− आवेदकगण ने अपने दावा आवेदन में घटना के समय मृतक की आयु 50 वर्ष होने का अभिवचन किया है। जबकि, न्यायालय में मृतक की पत्नी श्रीमती ललिता कुर्रे(आ०सा०क्रं०−01) ने अपने मुख्य परीक्षण में दुर्घटना के समय मृतक की आयु के संबंध में कोई स्पष्ट कथन नहीं किया है,और न ही आयु के संबंध में कोई निश्चित शैक्षणिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। आवेदिका/मृतक की पत्नी ने प्रतिपरीक्षण में कंडिका−05 में अपने पति की आयु के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं करना स्वीकार किया है । आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत शव परीक्षण रिपोर्ट प्र०ए०−08 में मृतक की उम्र−50 वर्ष उल्लेखित है । ऐसी स्थिति में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत, शव परीक्षण रिपोर्ट प्र०ए०−08 में वर्णित मृतक की आयु के आधार पर दुर्घटना के समय मृतक की उम्र −50 वर्ष मान्य किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

(14)− मृतक की पत्नी (आ०सा०क्रं०−01) ने अपने दावा आवेदन में मृतक को कृषि व मजदूरी का कार्य कर प्रतिमाह − 20,000/−रूपये की आय अर्जित करने का अभिवचन किया है । इस साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथन में अपने पति मृतक पहाड़सिंग कुर्रे को खेती किसानी के कार्य से प्रतिदिन 600−700/−रूपये की आय अर्जित करने का कथन किया है । इस साक्षी ने अनावेदक क्रमांक− 01 एवं 02

के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि, उसने अपने पति के कृषि कार्य के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं की है । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, उसने अपने पति के कृषि कार्य किये जाने संबंधी, कृषि भूमि का कोई राजस्व दस्तावेज अभिलेख में पेश नहीं किया है । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, उसने मृतक के कृषि अर्जित आय एवं मजदूरी के संबंध में कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । आवेदक साक्षी दीपेश कुमार नागवंशी (आ.सा.क्र.02) ने भी मृतक के खेती व मजदूरी करने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है । इस तरह मृतक के उपरोक्त कथित कार्य से कथित 20,000/– रूपये की आय के संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य या दस्तावेज नहीं है । अतः मृतक की उपरोक्त कार्य से उपरोक्त आय होना प्रमाणित नहीं है, परन्तु जैसा कि मृतक को 50 वर्ष का होना मान्य किया गया है । अतः निश्चित रूप से मृतक कुछ न कुछ आय अर्जित अवश्य करता रहा होगा । इस प्रकरण में घटना वर्ष 2022 की बतायी गई है, मृतक 50 वर्ष का व्यक्ति था । अतः मृतक की उम्र इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुये मृतक की प्रतिमाह मासिक आमदनी काल्पनिक रूप से 9000/– रूपये प्रतिमाह अवधारित किया जाना उचित प्रतीत होता है जो कि सालाना 1,08,000/–रूपये होती है ।

(15)– चूंकि घटना के समय मृतक की उम्र 50 वर्ष थी । अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्याय निर्णीत **प्रणय सेटटी एस.एल.पी.(सिविल) 25590/2014 निर्णय दिनांक–13.10.2016** के परिप्रेक्ष्य में Future Prospect हेतु 10% की

बढोत्तरी किये जाने पर राशि 1,08,000 + 10,800= 1,18,800/– रूपये होती है ।

(16)– मृतक की पत्नी श्रीमती ललिता कुर्रे (आ.सा.क्र.01) ने अपने न्यायालयीन कथन की कंडिका–02 में घटना के समय उसके पति /मृतक पर स्वयं एवं अपने दो पुत्रों के आश्रित होने से दावा आवेदन प्रस्तुत करना बताया है । इस साक्षी ने अपने सास–ससुर का पूर्व में देहांत हो जाने का कथन की है । इस प्रकार मृतक पर आश्रितों की संख्या 03 को देखते हुये उसके स्वंय के खर्च हेतु 1/3 कटौती की जानी चाहिए । अतः मृतक के स्वयं के खर्च हेतु 1/3 भाग की कटौती किये जाने पर क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु राशि 1,18,800–39,600= 79,200/– रूपये होती है ।

(17)– घटना के समय मृतक की उम्र–50 वर्ष थी ।अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टान्त **श्रीमती सरला वर्मा व अन्य विरूध्द दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य, 2009 (2) दु.म.प्र.1361 (सु.को.)** के परिप्रेक्ष्य में मृतक की 50 वर्ष की उम्र को देखते हुये 13 का गुणक लागू किये जाने पर क्षतिपूर्ति राशि 79,200 X 13 = 10,29,600/– रूपये होती है ।

(18)– मृतक के अंतिम क्रिया कर्म व सम्पदा की हानि के मद में क्रमशः 15,000/–15,000/– रूपये तथा आवेदिका क्रमांक– 01 मृतक की पत्नी को पति के प्रेम व स्नेह से वंचित होने के लिये 40,000/–रूपये तथा आवेदक

क्रमांक–02 क्र.03 जो कि मृतक की संतान है, प्रत्येक को पिता के प्रेम व स्नेह से वंचित होने के लिए 20,000/–20,000/– रूपये दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है । इस तरह कुल राशि 1,10,000/–रूपये होती है, तथा कुल क्षतिपूर्ति राशि 10,29,600 + 1,10,000 = 11,39,600/– रूपये (ग्यारह लाख,उन्चालिस हजार छः सौ रूपये) होती है ।

(19)– **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टान्त** **2007 ए.सी.जे.2123 मोहिन्दर कौर विरूध्द हीरानंद सिन्धी** में प्रतिपादित किया गया है कि क्षतिपूर्ति राशि पर ब्याज 9% वार्षिक की दर से दिलाया जाना चाहिए। अतः आवेदकगण उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि 11,39,600/–रूपये (ग्यारह लाख, उन्चालिस हजार छः सौ रूपये) पर दावा आवेदन प्रस्तुति दिनांक–10.10.2022 से अदायगी तिथि तक 9% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी पाने के अधिकारी हैं। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक 03 निराकृत किया जाता है ।

– विचारणीय बिन्दु क्रमांक 04 सहायता एवं वाद व्यय –

(20)– आवेदकगण उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि एवं उस पर उपरोक्त दर से ब्याज अनावेदकगण से संयुक्तः एवं पृथकतः प्राप्त करने के अधिकारी है, उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि एवं उस पर उपरोक्त दर से ब्याज की अदायगी का दायित्व अनावेदक क्रमांक 01 एवं 02 का संयुक्तः एवं पृथकतः है । तदनुसार दावा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार अवार्ड पारित किया जाता हैः –

01– अनावेदक क्रमांक 01 एवं 02 संयुक्तः एवं पृथकतः उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि 11,39,600/–रूपये (ग्यारह लाख, उन्चालिस हजार छः सौ रूपये) क्षतिपूर्ति आवेदकगण को अदा करेंगें तथा उस पर 9% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज आवेदन प्रस्तुति दिनांक–10.10.2022 से अदायगी तिथि तक आवेदकगण को अदा करेंगें ।

02– उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि मय् ब्याज अनावेदक क्रमांक–01 एवं 02 संयुक्तः एवं पृथकतः अधिकरण के खाते में 60 दिवस के भीतर जमा करेंगें ।

03– उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि 11,39,600/–रूपये (ग्यारह लाख, उन्चालिस हजार छः सौ रूपये)अनावेदक क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा संयुक्तः एवं पृथकतः अधिकरण के खाते में जमा किये जाने पर आवेदिका जो कि मृतक की पत्नी है, को 60 % राशि दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है, जो कि 6,83,760/–रूपये(छः लाख,त्रियासी हजार,सात सौ साठ रूपये) होती है, जिसमें से 2,83,760/–रूपये आवेदिका क्रमांक 01 को बचत खाते के माध्यम से नगद प्रदान हो तथा शेष राशि 03 वर्ष् के लिये सावधि जमा हो ।

04– इसी तरह शेष राशि में से आवेदक क्रमांक 02, एवं 03 जो कि मृतक के वयस्क पुत्र है, 20%–20% राशि अर्थात 2,27,920/–

2, 27, 920/–रूपये प्रत्येक आवेदक प्राप्त करने के अधिकारी हैं। 1,27,920/–1,27,920/– रूपये आवेदक क्र.02 एवं 03 बचत खाते के माध्यम से नगद प्राप्त करेंगें तथा शेष राशि आवेदक क्र.02 एवं 03 के नाम से पृथक पृथक 05–05 वर्ष् के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा हो।

05– उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि पर प्राप्त होने वाले ब्याज की राशि आवेदिका क्र.01 मृतक की पत्नी बचत खाते के माध्यम से नगद प्राप्त करने की अधिकारी होगी ।

06– अधिवक्ता शुल्क 3000/– रूपये निर्धारित किया जाता है जिसे आवेदिका क्र.01 मृतक की पत्नी प्राप्त करेगी।

07– आवेदकगण के नाम पर सावधि जमा राशि पर कोई ऋण या अग्रिम देय नही होगा तथा परिपक्वता अवधि के पूर्व अधिकरण की अनुमति के बिना नहीं निकाली जा सकेगी।

08– अनावेदक क्रमांक 01 एवं 02 अपना एवं आवेदकगण का वाद व्यय वहन करेंगें ।

09– यदि कोई अंतरिम क्षतिपूर्ति की राशि अदा कर दी गई हो तो वह उक्त क्षतिपूर्ति राशि में समायोजित की जायेगी ।

स्थान–जगदलपुर
दिनांक–25.10.2024

सही/–
(मनीष कुमार ठाकुर)
मोटर दुर्घटना दावाधिकरण,
बस्तर स्थान–जगदलपुर